

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय अधिकारी:-राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

नुकसान नम्बर:- 50/2013 वाद पत्र

उनवान

1-श्रवण पिता बरदीचन्द ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.) मृतक के
बनाय कन्हैयालाल पिता श्रवण ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1-प्यारा पिता हजारी भील निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

2- श्रीमति सरजू उर्फ नेनुडी विधवा बखतावर भील निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188, 179 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 90ए भू-राजस्व

अधिनियम

उपस्थित

सुनील बापना-

फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता वादी

अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 20.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट नाथडियास में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी नं. 346 रकबा 1.08 है0 लगानी 3.75 ग्राम पनोतिया पटवार सर्कल नाथडियास तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में स्थित है प्रमाण में प्रमाणित जमाबन्दी सं 2068 से 2071 मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत है। प्रतिवादी का वादी की उक्त खातेदारी अधिकार की आराजी से कोई लेना देना नहीं है फिर भी उसने सन् 2005 के 11 मार्च को वादी की आराजी के उत्तरी भाग जिसे संलग्न नजरी नक्शे में सुर्खी से दर्शाया गया हे पर अनाधिकार रूप से प्रवेश कर बाड़ा बना दिया जबकि इस बाबत प्रतिवादी ने वादी से कभी कोई सहमति/स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की एवं कुछ पूर्वी हिस्से में अपनी काकी सरजू को मकान बनाकर दे दिया एवं सरजू का निवास बना लिया जिसके बाबत वादपत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी अब इस बाड़े की दीवारों को गिराकर नीचे खोदकर नवीन रूप से मकान बनाना चाह रहा है जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है। इसी से यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये रोका जाना आवश्यक है। प्रतिवादी की इस नाजायज हरकत से वादी को सालाना फसल लाभ से मिलने वाले 1000/- का नुकसान हो रहा है तथा प्रतिवादी ने कृषि भूमि को अकृषि में उपयोग करने हेतु समपरिवर्तित भी नहीं कराई है, जिससे वादी 179 रा0 का0 अधिनियम व धारा 90 ए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत भी दावेदार है। मालियत वादपत्र 5000/- कायम करता है, किन्तु वाद पत्र आरटी एक्ट व लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत होने से नियमानुसार चार रूपये की कोर्ट फीस पर अलावा सूचना शुल्क के प्रस्तुत है। बिनाय वाद प्रतिवादी द्वारा अनाधिकृत आधिपत्य करने की दिनांक 11/05/2005 से उत्पन्न होकर प्रतिदिन जारी है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 06.06.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादीगण की ओर से अधिकार पत्र फारूख मोहम्मद अधिवक्ता का पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश किया जिसकी प्रति वादी के अधिवक्ता को दिलाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाबानुसार वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 जा0दी0 का पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 का पेश किया जिसकी प्रति प्रतिवादी के अधिवक्ता को दिलाई गई प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा


कोई आपत्ति जाहिर नही की गई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । वादी के अधिवक्ता द्वारा संशोधित टाईटल पेश किया । संशोधित टाईटल अनुसार श्रवण मृतक के बजाय कन्हैयालाल द्वारा शपथ पत्र पर बयान प्रस्तुत किये जिसकी प्रति प्रतिवादी के अधिवक्ता को दिलाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया । राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 मे भी नोटिस जारी किये गए । नोटिस की पालना मे वादी एवं प्रतिवादी स्वयं उपस्थित हुए तथा राजीनामा पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया । प्रस्तुत राजीनाम पत्र अनुसार वादी की आराजी संख्या 346 रकबा 1.08 है० ग्राम पनोतिया मे से नपती 47*33 फिट पर प्रतिवादी का पक्का मकान बना हुआ है उक्त पक्के मकान की रजिस्ट्री वादी प्रतिवादीगण के पक्ष मे करा देगा पक्के मकान के अलावा वादी की भूमि पर से 15 दिवस में प्रतिवादीगण कब्जा हटा लेगे कब्जा हटाने के बाद वादी पक्के मकान की रजिस्ट्री प्रतिवादीगण के पक्ष में करा देगा । रजिस्ट्री खर्चा प्रतिवादी का रहेगा ।

अतः न्यायालय प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझता है । अतएव

आदेश

वादी की आराजी संख्या 346 रकबा 1.08 है० ग्राम पनोतिया मे से नपती 47*33 फिट पर प्रतिवादी का पक्का मकान बना हुआ है उक्त पक्के मकान की रजिस्ट्री वादी प्रतिवादीगण के पक्ष मे करा देगा पक्के मकान के अलावा वादी की भूमि पर से 15 दिवस में प्रतिवादीगण कब्जा हटा लेगे कब्जा हटाने के बाद वादी पक्के मकान की रजिस्ट्री प्रतिवादीगण के पक्ष में करा देगा । रजिस्ट्री खर्चा प्रतिवादी का रहेगा । राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाता है । तदनुसार डिक्री जारी हो । राजीनामा आदेश का भाग माना जाए ।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


राजलक्ष्मी गहलोत
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पेटासीन अधिकारी:-राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 50/2013 वाद पत्र

उनवान

1-श्रवण पिता बरदीचन्द ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.) मृतक के बजाय
कन्हैयालाल पिता श्रवण ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1-प्यारा पिता हजारी भील निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

2- श्रीमति सरजु उर्फ नेनुडी विधवा बखतावर भील निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188, 179 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 90ए भू-राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं
वादी की आराजी संख्या 346 रकबा 1.08 है0 ग्राम पनोतिया मे से नपती 47*33 फिट पर प्रतिवादी का
पक्का मकान बना हुआ है उक्त पक्के मकान की रजिस्ट्री वादी प्रतिवादीगण के पक्ष मे करा देगा पक्के
मकान के अलावा वादी की भूमि पर से 15 दिवस में प्रतिवादीगण कब्जा हटा लेगे कब्जा हटाने के बाद
वादी पक्के मकान की रजिस्ट्री प्रतिवादीगण के पक्ष में करा देगा। रजिस्ट्री खर्चा प्रतिवादी का रहेगा।
राजीनामा आदेश का भाग रहेगा।

यह आज तारीख 20/06/2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

राजलक्ष्मी गहलोत

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा